2025:CGHC:38940–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 378/2024

1– अजय कुमार चौबे पिता राधेकृष्ण चौबे ,आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी– भैयाथान, थाना एवं तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

...अपीलार्थी

विरुद्ध

1–श्रीमती ज्योति चौबे पिता अरुण पाण्डेय, आयु लगभग 30 वर्ष, पति अजय चौबे, निवासी ग्राम– बिशुनपुर, थाना–चरचा, तहसील बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी(ओं) की ओर से	:	श्री संजय पाठक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (ओं) की ओर से	:	श्री अनिल गुलाटी, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री अनिल कुमार भोई, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद द्वारा,

06.08.2025

1) वर्तमान दाण्डिक अपील विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 130–ए/2022 में दिनांक 05.10.2024 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2) श्री संजय पाठक, अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी–पति, अर्थात् अजय कुमार चौबे का निधन हो चुका है।

3) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्होंने अपीलार्थी–पति के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का समर्थन किया।

4) हमने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

5) वर्तमान अपील अपीलार्थी–पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ib), 13(2)(iii), और 13(1A)(ii) के अधीन प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कुटुम्ब न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति को चुनौती दी गई थी। यद्यपि, चूँकि अपीलार्थी–पति की मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गई थी, अतः अपील पर निर्णय के लिए कोई वाद–हेतुक शेष नहीं है।

6) इस संबंध में, **श्री किमती लाल विरुद्ध श्रीमती इंदु कुंद्रा**[1] (सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 713/1998, दिनाँक 02.07.1999 को निर्णीत) का निर्णय निर्देशात्मक है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति पारित होने से पूर्व पति/पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो वाद हेतुक उपशमित हो जाता है और विवाह–विच्छेद की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक पति/पत्नी के उत्तराधिकारियों के पास विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए वाद चलाने का कोई अधिकार नहीं रहता। पति/पत्नी की मृत्यु से विवाह स्वतः ही उपशमित हो जाता है, जिससे विवाह–विच्छेद की कोई भी कार्यवाही निष्फल हो जाती है। निर्णय के अंश स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देते हैं कि न्यायालय उस विवाह को उपशमित नहीं कर सकता जो पहले ही मृत्यु के कारण विघटित हो चुका है और परिणामस्वरूप कार्यवाही समाप्त हो जाती है। कण्डिका 6 व 7 को उद्धृत करना उचित है, जिन्हें सुलभ संदर्भ हेतु नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> "6. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि पति या पत्नी का विवाह–विच्छेद याचिका में आज्ञप्ति पारित करने से पूर्व ही निधन हो जाता हैं, तो वाद हेतुक जीवित नहीं रहता और विवाह–विच्छेद याचिका की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। यह विचार करने योग्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए, जिसके द्वारा एकपक्षीय विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति को अपास्त कर दिया गया था और विवाह–विच्छेद याचिका को दस्तावेज में वापस कर दिया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्री बसप्पा द्वारा प्रस्तुत विवाह–विच्छेद याचिका को उपशमित और निष्फल माना जाएगा क्योंकि उक्त विवाह–विच्छेद याचिका में याचिकाकर्ता की मृत्यु हो चुकी थी और मृतक पति के अन्य उत्तराधिकारियों के पास पत्नी के विरुद्ध विवाह–विच्छेद की कोई

1 AIR 1999 Delhi 325

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए वाद चलाने का अधिकार नहीं रहेगा। सुलभता हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कण्डिका 10 नीचे उद्धृत किया गया है:–

"अब प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश द्वारा विवाह–विच्छेद की कार्यवाही को बहाल किया जाना चाहिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए या उक्त कार्यवाही पर पर्दा डाल दिया जाना चाहिए। चूँकि उच्च न्यायालय ने एकपक्षीय आज्ञप्ति को उचित रूप से अपास्त किया है, इसलिए विवाह याचिका स्वतः ही विद्वान विचारण न्यायाधीश के दस्तावेज पर बहाल हो जाएगी। उस स्तर से पूर्व जिस स्तर पर वे खड़ी थीं जब कार्यवाही एकपक्षीय आज्ञप्ति द्वारा बाधित हुई थी। ऐसा होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी के विरुद्ध विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति की मांग करने वाला मूल याचिकाकर्ता अब कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए कार्यवाही निश्चित रूप से मृतक पति के लिए एक व्यक्तिगत कार्यवाही का कारण बन जाएगी और चूंकि कोई आज्ञप्ति किसी भी पति या पत्नी के किसी भी स्पष्ट अधिकार और दायित्व को पूरा नहीं करती है, इसलिए उक्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से इस आधार पर समाप्त हो जाएगी कि मृत पति के अन्य उत्तराधिकारियों को वाद चलाने का अधिकार शेष नहीं रहेगा। पत्नी के विरुद्ध विवाह–विच्छेद का कोई भी आदेश, क्योंकि पति की मृत्यु के कारण विवाह बंधन पहले ही उपशमित हो चुका है। इसलिए, न्यायालय के पास ऐसे गैर–मौजूद बंधन को तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई शेष नहीं है, अन्यथा यह मृतक को मारने का प्रयास करने जैसा होगा। इस स्तर पर, विवाह–विच्छेद के किसी भी आदेश द्वारा उपशमित करने के लिए कोई विवाह शेष नहीं है। परिणामस्वरूप, अब जब एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाता है,तो विचारण न्यायालय को हिंदू विवाह याचिका को उसकी दस्तावेज में वापस रखकर आगे बढ़ने का निर्देश देने से कोई उपयोगी प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा। प्रत्यर्थी के पति श्री बसप्पा द्वारा व्यवहार न्यायाधीश गडग के न्यायालय में प्रस्तुत हिंदू विवाह याचिका क्रमांक 25/1989 उपशमित माना जाएगा और निष्फल मानकर निराकरण किया जाएगा। तदनुसार अपील का निराकरण किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।"

7. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, मेरा मानना है कि विवाह–विच्छेद की याचिका को विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रुप से खारिज किया है और इस पुनरीक्षण याचिका में कोई सार नहीं है। पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। वाद– व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।"

7) वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर उपरोक्त विधिक सिद्धांत लागू करते हुए, मृतक पति द्वारा प्रस्तुत अपील उसकी मृत्यु पर उपशमित मानी जाती है। कोई भी वाद–हेतु शेष नहीं बचता है, और इन कार्यवाहियों को जारी रखने से कोई प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा।

8) तदनुसार, वर्तमान दाण्डिक अपील **उपशमित** होने के कारण एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**